न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
008/2021 (रसद) (GCMS 2021/193)	24.04.2021	08.12.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

भगवानलाल पिता सोहनलाल कुमावत निवासी घटियायली तहसील चित्तौड़गढ़ (मोबाईल नं. 8769487778)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एकतरफ — विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6-ए सपठित पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2021 को डिस्ट्रीक्ट स्पेशल टीम, पुलिस द्वारा आवेदक प्रवर्तन अधिकारी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि जयपुर–उदयपुर हाइवे स्थित सांवरिया होटल(सुरेश प्लाजा) पम्प पर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण तथा विक्रय हो रहा है। इस पर आवेदक हितेश जोशी विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुँचें। मौके पर सदर थाना चित्तौड़गढ़ का जाब्ता तैनात पाया गया। मौके पर पम्प संचालक भगवान लाल कुमावत पुत्र सोहनलाल कुमावत निवासी घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़ मोबाईल नंबर 8769487778 पुलिस टीम को देखकर के फरार हो गया। मौके पर उपस्थित ट्रेलर वाहन संख्या RJ09GB0647 के ड्राईवर राधेश्याम सालवी पुत्र माना सालवी निवासी सुरेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ ने बयान में बताया कि मैनें ओम शान्ति बायोडीजल से 67.00 रूपये प्रति

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

लीटर की दर से 50 लीटर बायोडीजल भरवाया। ओम शान्ति बायोडीजल पम्प बिना पंजीकरण के संचालित होने के कारण सील किया हुआ है। मौके पर निरीक्षण करने पर पाया गया कि सील शुदा डिस्पेन्सिंग यूनिट जिस भूमिगत टैंक से जुडा हुआ था। उस भूमिगत टैंक से मोटर लगाकर पास में अन्य भूमिगत टैंक में ट्रांसफर किया जाकर उस भूमिगत टैंक से एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट जोडकर अवैध बिक्री किया जाना पाया गया। मौके पर गवाहों के समक्ष दोनों भूमिगत टैंक का गेज से मापन किया गया। मापन करने पर सीलशुदा डिस्पेन्सिंग यूनिट से जुडा हुआ भूमिगत टैंक जिसमें 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य भूमिगत टैंक जो पोर्टेबल मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट से जुडा हुआ है। उसमें 2700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (बायोडीजल) होना पाया। बायोडीजल पम्प के संचालक द्वारा अवैध विक्रय तथा बिना दस्तावेज के अवैध भण्डारण तथा सीलशुदा भूमिगत टैंक को बिना स्वीकृति के संचालित करने/उपयोग करने पर आवेदन अनुसार वस्तुओं को अभिग्रहित किया गया। उक्त सामग्री को आवेदक द्वारा अभिग्रहित कर पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ़ की सुपुर्दगी में कर दिया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। अन्त में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ 2700 लीटर, 1 पोर्टेबल मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट (ACHIVERS AHEMDABAD CHINTAN ENGINEERS), 3 इंच हरे रंग का 1 प्लास्टिक पाईप जिसकी लम्बाई 10 फीट, आधा HP की TAXO विद्युत मोटर जिसके एक सिरे पर 20 फीट लम्बा वॉल्व लगा हुआ पाईप व दूसरे सिरे पर 15 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, 5 लीटर क्षमता के 2 लोहे के कीप, 1 लोहे का कीमा, 1 लीटर, 10 लीटर व 20 लीटर क्षमता के 3 कीप, 50 लीटर क्षमता का नीले रंग का प्लास्टिक जरीकेन खाली कब्जे में लिये। उक्त सामग्री को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। इस पर दिनांक 08.12.2021 को विपक्षी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली में आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौडगढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पैरोकार सरकार की बहस पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं प्रकरण में विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा होने से पत्रावली पर आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन उपलब्ध नहीं है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ 2700 लीटर, 1 पोर्टेबल मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट (ACHIVERS AHEMDABAD CHINTAN ENGINEERS), 3 इंच हरे रंग का 1 प्लास्टिक पाईप जिसकी लम्बाई 10 फीट, आधा HP की TAXO विद्युत मोटर जिसके एक सिरे पर 20 फीट लम्बा वॉल्व लगा हुआ पाईप व दूसरे सिरे पर 15 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, 5 लीटर क्षमता के 2 लोहे के कीप, 1 लोहे का कीमा, 1 लीटर, 10 लीटर व 20 लीटर क्षमता के 3 कीप, 50 लीटर क्षमता का नीले रंग का प्लास्टिक जरीकेन (खाली) को राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 70/2021 दिनांक 03.03.2021 में दिनांक 03.03.2021 को जब्तशुदा कुल पेट्रोलियम पदार्थ 2700 लीटर, 1 पोर्टेबल मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट (ACHIVERS AHEMDABAD CHINTAN ENGINEERS), 3 इंच हरे रंग का 1 प्लास्टिक पाईप जिसकी लम्बाई 10 फीट, आधा HP की TAXO विद्युत मोटर जिसके एक सिरे पर 20 फीट लम्बा वॉल्व लगा हुआ पाईप व दूसरे सिरे पर 15 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, 5 लीटर क्षमता के 2 लोहे के कीप, 1 लोहे का कीमा, 1 लीटर, 10 लीटर व 20 लीटर क्षमता के 3 कीप, 50 लीटर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

क्षमता का नीले रंग का प्लास्टिक जरीकेन (खाली) को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल पेट्रोलियम पदार्थ 2700 लीटर, 1 पोर्टेबल मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट **(ACHIVERS AHEMDABAD CHINTAN ENGINEERS)**, 3 इंच हरे रंग का 1 प्लास्टिक पाईप जिसकी लम्बाई 10 फीट, आधा **HP** की **TAXO** विद्युत मोटर जिसके एक सिरे पर 20 फीट लम्बा वॉल्व लगा हुआ पाईप व दूसरे सिरे पर 15 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, 5 लीटर क्षमता के 2 लोहे के कीप, 1 लोहे का कीमा, 1 लीटर, 10 लीटर व 20 लीटर क्षमता के 3 कीप, 50 लीटर क्षमता का नीले रंग का प्लास्टिक जरीकेन (खाली) को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 08.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official